तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-10-2020	एकल–पीठ डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य **<u>उपस्थितः</u>** श्री ओ.पी.भट्ट, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं, एकतरफा कार्यवाही की गई। **–ः <u>आदेश</u> :–** यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 273/1999 में अनुशंषित कार्यवाही निर्णय दिनांक 26–02–2004 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। 2– संक्षिप्त में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बस्सी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत 2019 की एकीकरण जमाबन्दी ग्राम बांसखोह के आराजी खसरा नंबर 317 व 318/862 रकबा 9 बिस्वा माफी मंदिर श्री बिहारी जी पुजारी विष्णुदास चेला सुन्दरदास जाति ब्राह्मण सा0 बांसखोह खुदकाश्त दर्ज थी। संवत 2022 से 2025 की जमाबंदी बनाते समय माफी मंदिर श्री बिहारी जी का नाम नियम विपरीत विलोपित कर पुजारी विष्णुदास चेला सुन्दरदास जाति ब्राह्मण साकिन बासंखोह के नाम दर्ज कर दी गई और बाद मे विष्णुदास के फोत होने पर जरिये नामांतरकरण संख्या 178 विरासत के द्वारा मृतक विष्णुदास की बजाय सत्यनारायण, शीतलाप्रसाद पिसरान विष्णुदास सा0 बांसखोह के नाम दर्ज कर कर दी गई। खातेदार सत्यनारायण, शीतलप्रसाद द्वारा उक्त आराजी में से खसरा नंबर 317 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. चाह का बेचान जरिये रजिस्ट्री किये जाने पर नामांतरकरण संख्या 275 के द्वारा खातेदारी श्री नारायण पुत्र भागीरथ, लक्ष्मण पुत्र मोतीलाल, रामनाथ पुत्र प्रभात मीना के नाम दर्ज कर दी गई। अतः आराजी खसरा नंबर 317 रकबा 3	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा व 318/862 रकबा 6 बिस्वा को माफी मंदिर श्री बिहारी जी के नाम करने के आदेश प्रदान करावें। मंदिर की भूमि के खातेदारी अधिकार हस्तांतरण नहीं हो सकते। अतः अप्रार्थी का नाम विलोपित कर पुनः माफी मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम विवादित आराजी दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने विधि सम्मत् कार्यवाही कर अपने निर्णय से अपनी अनुशंषा के साथ यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 3– हमनें विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस रेफरेंस पर बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि संवत 2019 की जमाबंदी ग्राम बांसखोह की विवादित भूमि खसरा नंबर 317 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 318/862 रकबा 6 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री बिहारी जी की खातेदारी में दर्ज थी। माफी मन्दिर की भूमि पुजारी अथवा निजी व्यक्तियों के खातेदारी में अभिलिखित नहीं की जा सकती है, क्योंकि नियमों में मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45(4) व धारा 46(ए) के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है। चूंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और उसके द्वारा पुजारी से काश्त कराई जा सकती है। अन्त में उन्होंने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत विवादित आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में स्वीकृत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा उक्त भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे। 4– हमनें विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया। 5– वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग संवत 2019 में विवादित भूमि खसरा नंबर 317 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 318/862 रकबा 6 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री बिहारी जी पुजारी विष्णुदास चेला सुन्दरदास जाति ब्राह्मण नि. देह खुदकाश्त अंकित हैं। जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में माफी मंदिर श्री बिहारी का नाम विलोपित कर उक्त भूमि विष्णुदास चेला सुन्दरदास जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज की गई है। नामांतरकरण संख्या 178 से स्पष्ट है कि विष्णुदास के फोत होने पर उसके वारिसान सत्यनारायण व शीतलाप्रसाद के नाम भूमि की खातेदारी दी गई है तथा इसके पश्चात् भूमि खसरा नंबर 317 रकबा 3 बिस्वा का बेचान करने पर नामांतरकरण संख्या 275 नारायण पुत्र भागीरथ, लक्ष्मण पुत्र मोतीलाल, रामनाथ पुत्र प्रभात मीना के नाम स्वीकृत किया गया है। जमाबंदी संवत 2051 से 2054 में भूमि खसरा नंबर 318/862 रकबा 6 बिस्वा सत्यनारायण, शीतला प्रसाद पिसरान विष्णुदास कौम ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। 6– राजस्व अभिलेख मुताबिक इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसा कोई अभिलेख साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी को उत्तराधिकारी एवं हस्तान्तरण के सम्पूर्ण अधिकार थे और न ही किसी सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर मन्दिर मूर्ति के नाम अंकित भूमि को अप्रार्थी के नाम अन्तरित कर अभिलिखित कर दिया जावे। मुताबिक खतौनी बंदोबंस्त भू प्रबंध विभाग संवत 2019 से यह भूमि स्पष्ट रूप से माफी मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम दर्ज थी। 7– यहाँ यह भी नितान्त स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात को निजी व्यक्तियों के खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नबाालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये हैं तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे। अतः यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः मंदिर श्री बिहारी जी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। 8– फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा नामांतरकरण संख्या 178, 275 निरस्त किये जाकर ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 317 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 318/862 रकबा 6 बिस्वा को जो अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई है, को अप्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण के नाम के अंकन को राजस्व अभिलेखों में निरस्त किया जाकर जमाबंदी संवत 2019 के अनुसार पुनः माफी मन्दिर श्री बिहारी जी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। 9– पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	